न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1518

1. महेन्द्र पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम बड की ढाणी, चंवरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
2. तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं ने क्रमांक राजस्व/2024/527 निर्णय दिनांक 29.07.2024 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हेमन्त दीक्षित, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 23.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 29.07.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 23.07.2024 को ग्राम चंवरा में ढाणी माठ्यावाली के प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल चंवरा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चंवरा में ढाणी माठ्यावाली के भूमि खसरा नम्बर 302, 303, 304, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 1504/302 में से जाने वाला प्रचलित कदीमी रास्ता जो कि मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है। इस रास्ते को ग्राम पंचायत चंवरा, पटवारी हल्का, भू0अ0निरीक्षक व तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट एवं समस्त खातेदारों का सहमति पत्र मय रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

   जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23.07.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी को आदेशित किया गया कि वे राजस्व ग्राम चंवरा के भूमि खसरा नम्बर 302, 303, 304, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 1504/302 में से प्रचलित रास्ते को कटानशुदा/राजकीय रास्ता कायम करने एवं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने तथा उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि संबंधित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदारों के खाते में दर्ज रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 29.07.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं दिनांक 29.07.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आज्ञा जैर अपील पूर्णतया विधि–विधान पत्रावली एवं तथ्यों के विपरीत होने से एवं पूर्णतया क्षेत्राधिकार–विहीन एवं एक पक्षीय होने से निरस्तनीय हैं। प्रार्थी अपीलान्ट विवादित कृषि भूमि खसरा नंबरान 1504/302, 302 से 304, 306, 308, 310, 312 से 315, 317, 318, 320 स्थित ग्राम चंवरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू के काबिज खातेदार है तथा विद्वान एस. डी.ओ., झुंझुनू ने अपीलांट को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया क्षेत्राधिकार–विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्त्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की और भी कतई ध्यान नहीं दिया कि नया रास्ता दर्ज करने का धारा 251 राज० टेनेन्सी एक्ट में तहसीलदार को एवं धारा 251 ए राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में एस. डी. ओ. को अधिकार केवल सभी सह–खातेदारों को सुनवाई का मौका देकर उचित शुल्क जमा करने पर ही अधिकार प्राप्त है, अन्यथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आज्ञा जैर अपील सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू द्वारा पारित आज्ञा जैर अपील पूर्णतया अतार्किक एवं कपोल–कल्पित, मनगढन्त एवं एक पक्षीय निर्णय की परिभाषा में आने से निरस्तनीय हैं। दिनांक 02.07.2024 को जिन खातेदारों ने सहमति दी है, वे अन्य खसरा नंबरान 303, 304, 306, 308, 313, 314, 317, 318, 310, 312, 315, 320, 302, एवं 1504/302 स्वयं को अपने खेतों में आवागमन हेतु छोटे रास्ते की आवश्यकता है, उक्त सहमति पत्र में अपीलान्ट के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही अपीलान्ट को कहीं भी किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया गया हैं। इस कारण भी आज्ञा जैर अपील पूर्णतया दृषित प्रक्रिया अपनाते हुये न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत एक पक्षीय रूप से पारित की गई है, जो सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना ही मूल खातेदार अपीलान्ट को बिना सुने ही आज्ञा जैर अपील पारित की है, जो निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों, तहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक, पटवारी आदि ने जो फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024 को तैयार करके एस. डी. ओ., उदयपुरवाटी को भेजी है, वो भी एक पक्षीय रिपोर्ट है, तथा उन्होंने भी प्रार्थी अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया तथा उक्त एक पक्षीय फर्द मौका रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी ने भी एक पक्षीय आज्ञा जैर अपील अपीलान्ट को बिना सुने ही पारित की है जो आज्ञा जैर अपील निरस्तनीय हैं। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 131 व 132 में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि किसी भी काबिज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रिकार्डेड खातेदार की भूमि में से उन्हें बिना कोई नोटिस जारी किये ही एवं एक पक्षीय रूप से उनकी खातेदारी की भूमि में गै०मु० रास्ते का अंकन कर दिया जावे, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील सर्वधा कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आज्ञा पूर्णतया नॉन– स्पीकिंग, अतार्किक एवं निर्णय की परिभाषा में आने के कारण निरस्तनीय हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय एस. डी. ओ., उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू ने आज्ञा जैर अपील दिनांक 29.07.2024 पारित करते समय इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि धारा 131 एवं 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु व अंकन हेतु कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि उक्त कार्यवाही करते हुए खातेदारों को बिना सुने ही उसकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में गै०मु० रास्ता दर्ज कर दिया जावें, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील पूर्णतया अवैध व क्षेत्राधिकार–विहीन होने से निरस्तनीय हैं।

अपीलान्ट को तहसीलदार, उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू ने फर्द रिपोर्ट मौका बाबत रास्ता दर्ज करने के संबंध में कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा केवल मात्र तहसीलदार एवं पटवारी की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024 ग्राम चंवरा व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव एवं एक पक्षीय रिपोर्ट पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 को आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू ने जिस ढंग से एक पक्षीय रूप से आज्ञा जैर अपील दिनांक 29.07.2024, मु0नंबर क्रमांकः भू–अ0/2024/1645 के द्वारा खातेदारी की भूमि खसरा नंबरान 302 से 304, 306, 308, 310, 312 से 315, 317, 318, 320, 1504/302 स्थित ग्राम चंवरा तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू में गै०मु0 रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही की है, वो संपूर्ण कार्यवाही एक पक्षीय होने से एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। आज्ञा जैर अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू ने प्रकरण संख्या क्रमांकः भू0अ0/3024/1645 में पारित आज्ञा जैर अपील दिनांक 29.07.2024 पारित करने से पूर्व प्रकरण को सही व वास्तविक अर्थो में नहीं समझा तथा जल्दबाजी में कानून के विपरीत एक पक्षीय रूप से आज्ञा जैर अपील पारित की है, जो सरासर विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट कृषि भूमि खसरा नंबर 1504 स्थित ग्राम चंवरा, तहसील उदयपुरवाटी, का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा भूमि खसरा नंबर 302 अपीलान्ट ने मूल खातेदार नन्दाराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.06.2009 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, तथा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त खसरा नंबर 302 राजस्व रिकार्ड में गै०मु० आबादी है तथा अपीलान्ट ने वहाँ दुकान का भी निर्माण करा रखा है तथा आबादी की भूमि रास्ता दर्ज कराने का उपखण्ड अधिकारी को कतई कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, इस कारण भी आज्ञा जैर अपील क्षेत्राधिकार–विहीन एवं अवैध होने से निरस्तनीय हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि कृषि भूमि खसरा नंबर 302 का तो खातेदारान बनवारी, प्रहलाद, महावीर पुत्रान भगवाना, सिणगारी पत्नी भगवानाराम, श्योकरण पुत्र गणपत, रामचन्द्र पुत्र झूंथा वगैराह ने दिनांक 30.07.1991 को ही कनवर्जन (संपरिवर्तन) करा लिया था तथा उक्त खसरा नंबर 302 तव से ही राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज है, फिर भी विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण को सही अर्थो में समझे बिना ही रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी भूल की है। इस कारण भी आज्ञा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जैर अपील पूर्णतया अवैध एवं क्षेत्राधिकार–विहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट को आज्ञा जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.06.2025 को उस वक्त हुई, जब पड़ौसी काश्तकार, पटवारी एवं अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, तथा रास्ता तैयार करने हेतु नाप–जोख करने लगे थे, तो अपीलान्ट ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी खातेदारी की भूमि में से पडौसी खातेदारों के आवागमन हेतु रास्ता डाला जा रहा है तथा एस. डी. ओ., उदयपुरवाटी ने दिनांक 29.07.2024 को उक्त खसरा नंबरों में से रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया है तथा अब मौके पर नया रास्ता डाला जायेगा, जिस पर अगले ही दिन प्रार्थी/अपीलान्ट ने उदयपुरवाटी जाकर अभिभाषक जी से सम्पर्क किया तथा एस. डी. ओ. कोर्ट में जाकर पता किया एवं फाईल व आदेश आदि दस्तावेजों की नकलें तैयार कराके जयपुर आकर वकील से सम्पर्क कर अपील की कार्यवाही करने हेतु बातचीत की। अपीलान्ट को कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा आज्ञा जैर अपील उसके विरूद्ध इक तरफा रूप से पारित की गयी है। इस कारण अपीलान्ट की अपील में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपीलान्ट की अपील जानकारी की तिथि से न्याय हित में उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुये अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुणों पर निर्णित फरमावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सही वस्तुस्थिति को समझे बिना ही एक परवर्स निर्णय पारित किया है, जो सरासर कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू के निर्णय दिनांक 29.07.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी. सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हे कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा जैर अपील उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुंझुंनू दिनांक 29.07.2024, बाबत मुकदमा नम्बर–क्रमांक–भू0अ0/2024/1645 निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के अनुसार रिकार्ड एवं मौके की सही वस्तुस्थिति का अध्ययन व अवलोकन करते हुए निर्णित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू को प्रतिप्रेषित (रिमांड) फरमाया जावें तथा अपीलान्ट की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबरान 1504/302, 302 से 304, 306, 308, 310, 312 से 315, 317, 318, 320 ग्राम चंवरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू को छोड़कर अन्यत्र भूमि में से गै०मु० रास्ता दर्ज करने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24.06.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये

माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 23.07.2024 को ग्राम चंवरा में ढाणी माठ्यावाली के प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु पटवार मण्डल चंवरा की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चंवरा में ढाणी माठ्यावाली के भूमि खसरा नम्बर 302, 303, 304, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 1504/302 में से जाने वाला प्रचलित कदीमी रास्ता जो कि मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है। इस रास्ते को ग्राम पंचायत चंवरा, पटवारी हल्का, भू0अ0निरीक्षक व तहसीलदार उदयपुरवाटी की मौका रिपोर्ट एवं समस्त खातेदारों का सहमति पत्र मय रास्ता प्रस्ताव के आधार पर सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं को रास्ता प्रस्ताव भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23.07.2024 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी को आदेशित किया गया कि वे राजस्व ग्राम चंवरा के भूमि खसरा नम्बर 302, 303, 304, 306, 308, 310, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 1504/302 में से प्रचलित रास्ते को कटानशुदा/राजकीय रास्ता कायम करने एवं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने तथा उक्त रास्ते में समायोजित होने वाली भूमि संबंधित खातेदारों के खाते में दर्ज रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2024 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत चंवरा की मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत चंवरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा समस्त खातेदारों के सहमति पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 में किसी प्रकार की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (नीमकाथाना), हाल जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.07.2024 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त जयपुरीय आयुक्त
जयपुर